प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 13 मई, 2026**

विषय: जनपद झांसी में बेतवा मुख्य नहर के परगहना पावई भाण्डेर क्रास रेगुलेटर डाउनस्ट्रीम व छिरौरा पुल के दोनों ओर क्षतिग्रस्त सेक्शन के पुर्नस्थापना की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र पत्र सं0-198/295/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 30.04.2026 एवं शासनादेश संख्या-35/ 2023/001/178/23-27-सिं-9-9भवन/21, दिनांक 31.01.2023 एवं शासनादेश संख्या-192/2023/001 /1027/23-27-सिं-9-9भवन/21, दिनांक 01.06.2023 एवं शासनादेश संख्या-123/2024/001/449 /24-27-सिं-9-9भवन/21, दिनांक 19.03.2024 एवं शासनादेश संख्या-201/2024/001/821/24-27-सिं-9-9भवन/21, दिनांक 29.05.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद झांसी में बेतवा मुख्य नहर के परगहना पावई भाण्डेर क्रास रेगुलेटर डाउनस्ट्रीम व छिरौरा पुल के दोनों ओर क्षतिग्रस्त सेक्शन के पुर्नस्थापना की परियोजना** की अनुमोदित लागत रू0 931.28 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनु0 सं0-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक-4700-10-051-10-14-24 के अन्तर्गत प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि रू0 30,00,000.00 (रूपये तीस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान करते हैं –

नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत् ही निर्गत की जायेगी।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

(7) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(8) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या–ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनॉक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) उक्त धनराशि का वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 30,00,000.00 (रूपये तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-94 लेखा शीर्षक**-4700100511014 सम्बद्ध कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।

6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है